और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जानकार रखा गया है। इस प्रकार से हम लोगों के लिए पसंद की खादी की व्यवस्था कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री नंदी येल्लैया: माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे मंत्री महोदय ने खादी उद्योग में आई गिरावट को रोकने व खादी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए। महोदय, हमारे देश के अंदर आजकल बड़े-बड़े नेता सफारी पहनने के बहुत आदी हो गए हैं। ...(व्यवधान)... महोदय, गांधी जी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार बढ़ाने में खादी का विकास हो। महोदय, मैं एक दफा सफारी में एम॰पी॰ की हैसियत से एक बड़े फंक्शन में गया, लेकिन वहां मेरे को हटा दिया गया। मुझे सफारी पहनने की सज़ा हुई। मैं कहना चाहता हूं कि खादी का बहुत importance है, उस में सुंदरता है, वह बहुत dignified है, जिसे पहनकर हम बड़े नेता के रूप में जाकर बैठ सकते हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि कई खादी भंडारों में खादी का सामान नहीं रहता है। वहां जो आदमी बैठे हैं, वे खादी सामान को दिखाते भी नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप खादी को ज्यादा रिबेट दीजिए और उस को ज्यादा मॉडर्नाइज कीजिए। महोदय, आज बहुत से लोग टैरीकॉट के आदी हो गए हैं, अगर उसे बंद करना है तो खादी को मॉडर्नाइज कीजिए और उस पर डिस्काउंट दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, हमारे आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य एक फंक्शन में सफारी सूट में गए, तो उन को निकाल दिया गया। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं और यहां जो सहयोगी माननीय मंत्री हमारे साथ बैठे हैं और माननीय सदस्य बैठे हैं, उन से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि वे खादी के विचार को अपनाएं और खादी को आगे बढ़ाएं। यही मेरा सुझाव है।

Medicine prices in tax holiday States

*262. SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 3682 given in the Rajya Sabha on the 19th May, 2006 and state:

(b) whether it is a fact that manufacturing companies are free to fix the MRP of drugs manufactured in tax-exempt States;

(b) whether it is also a fact that companies are supplying drugs manufactured in tax-exempt States to gain higher margins of profit; and

(c) whether Government would ensure that drugs produced in both tax-exempt States and non-exempt States are sold to consumers on the same MRP?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) to (c) The 74 bulk drugs specified in the First Schedule of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 (DPCO, 95) and the formulations based thereon are uner price control and their prices are fixed/revised by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) in accordance with the provisions of the DPCO, 95. These drugs have been kept under price control on the basis of criteria mentioned in Modifications in Drug Policy, 1986' announced in September 1994.

No one can sell Scheduled drug/formulation at a price more than the price fixed by the NPPA/Govt., whether it is manufactured in excise exempt zones or non-exempt zones. NPPA notifies ceiling prices exclusive of excise duty. If a particular Scheduled drug/formulation pack is manufactured in any excise exempt zone, retail price printed on the product label has to be equal to such notified price. Local tax, if any, is charged extra. If an identical Scheduled formulation pack is manufactured even in the same brand name by the same company or is manufactured in different brand name by any other company in non-exempt zones, retail price on the label has to be equal to the notified price plus excise duty paid on it. Local tax, if any, is charged extra. If any Scheduled drug/formulation pack is manufactured and sold at a price higher than the notified price whether in tax-exempt states or non tax-exempt states, necessary action is taken to recover the overcharged amount as per the provision of the DPCO, 1995.

In respect of non-Scheduled formulations, the manufactures are free to fix the prices by themselves without seeking approval of Government / NPPA.Such prices are normally fixed depending on various factors like the cost of bulk drugs used in the formulations, cost of production, cost, of R&D, cost of utilities/packing materials, sales promotion cost, trade magins, quality assurance cost, landed cost of imports etc. The price of various brands of non-Scheduled formulations may be different although composition and weight/pack size are same because prices of non-

scheduled formulations are fixed by the manufactures based on economics of production, which differ from case to case. The prices of non-Scheduled formulation packs with diferent brand names may vary even if they are manufactured in the same place/city. NPPA has written to all the State Drugs Controllers to inform regarding high prices of formulations, if any, producd in tax-exempt states.

As part of its price monitoring activity, NPPA regularly examines the movement in prices of non-Scheduled formulations. The monthly reports of ORG-IMS and the information furnished by individual manufactures are utilized for the purpose of monitoring prices of non-Scheduled formulations. Wherever abnormal price increase is noticed, necessary action is taken.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, the maximum Retail Price fixed by the Drug Price Control Order — I can cite some of the medicines -- for example, Norfloxacin, printed on its pack which is produced in Punjab, is Rs. 17.50, whereas the price of Norfloxacin produced in Himachal Pradesh, Solan, is Rs.46.60 Likewise, there are many other drugs; I have put the name of only one. It is because of the fact that the Government fixes the price of medicines produced in non tax-exempt States, but drug companies fix the MRP of drugs produced in tax - exempted States. I want to know --my first question in --from the hon. Minister: are there two prices of a particular medicine? Will the Government ensure that prices of drugs produced in tax-exempted States do not go above the price of drugs produced in non-tax exempted States? How will the Government tackle this situation?

श्री राम विलास पासवान: आदरणीय सभापति जी, यह जो सवाल है, इसके कई एक पहलू हैं। इसका एक पहलू तो यह है कि जब टैक्स-एग्जेम्प्टेड किया गया हो तो नॉर्थ-ईस्ट में किया गया, ताकि वहां के राज्यों में इंडस्ट्रीज को, खासकर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। बाद में उसमें जम्मू-कश्मीर को जोड़ दिया गया, फिर सिक्किम को इसमें लाया गया, इसके बाद फिर कच्छ को लाया गया, फिर हिमाचल प्रदेश को लाया गया और फिर उत्तरांचल को लाया गया। वर्ष 1999 से लेकर 2003 के बीच में इन राज्यों को, जो टैक्स-एग्जेंप्टेड राज्य हैं, इनको एक्साइज-डयुटी फ्री राज्य घोषित किया गया। जो उसका मेन परपज था, वह यह था कि इन राज्यों में दो दवाइंया बनाएंगे, जो इंडस्ट्रीज लगाऐंगे, उनको थोड़ी सहूलियत दी जाए, क्योंकि उन राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर कायम करने में काफी दिक्कतें होती हैं, वहां कहीं पहाड़ हैं, कहीं कुछ और है। यह बात सही है कि अभी भी जो बैकवर्ड एरिया है, वहां इन लोगों ने दवाइयों के

कारखाने नहीं लगाए हैं, बल्कि जो प्लेन एरिया हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का चंडीगढ़ से सटा हुआ जो इलाका है, वहां कारखाने लगाने का काम ये लोग करते हैं, सुदूर पहाड़ में जाकर लगाने का काम उन्होंने नहीं किया है। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना राज्य सरकार का काम है, यह उनके देखने का काम है। सरकार की जो पॉलिसी है, जैसा आपने प्रश्न पूछा, इसमें दो मत नहीं हैं कि जिन राज्यों में टैक्स एगजेम्शन हैं, उन राज्यों में इंडस्ट्रीज लगें। यह बात भी सही है कि जिन राज्यों में टैक्स लग रहे हैं, उन राज्यों में से इंडस्ट्रीज वहां पलायन कर रही हैं और नई-नई इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, एक तरह से हमने फाइनेन्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि जो 16 परसेंट एक्साइज डयुटी है, उसे 16 परसेंट से घटाकर 8 परसेंट किया जाए। ये ऐसे कुछ स्टेप्स लेने का काम हमने किया है। यह भी सही है कि वहां की इंडस्ट्रीज वालों के लिए, चूंकि सारी चीजें उनको फ्री हैं, उनको टैक्स एग्जेम्पशन भी हैं, उनके लिए एमआरपी के ऊपर भी रोक नही है। सिर्फ हमारा जो काम है, जो ड्रग्स अंडर-कंट्रोल हैं, चूंकि दो तरह की ड्रग्स हैं - एक अंडर-कंट्रोल, दूसरी डी-कंट्रोल, है तो अंडर-कंट्रोल हैं, उनके लिए तो हमारा सब जगह एमआरपी एक होता है, प्लस लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, जहां-जहां का जितना है, उसके आधार पर यह रहता है, लेकिन जो डी-कंट्रोल ड्रग्स होती है, उसमें हमारा कोई प्रतिबंध नही है।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, my second supplemetary is this. As per my information, the Ministry is trying hard to implement a new Drug Policy in order to increase the number of essential drugs or to expand the list of essential drugs to be provided free to the BPL families. Sir, in order to provide free drugs to the BPL families, there is a need to increase the number of essential drugs under this list. There is a need to expand the list. What is the reason for such a delay on it? Can the hon. Minister give a definite assurance with regard to the time-frame within which this process would be completed? I would also like to know as to where it is pending. This is a very important scheme, so far as the BPL families are concerned....(*Interruptions*)... It is regarding expansion of the list.

श्री राम विलास पासवान: सर, इस प्रश्न के दो पार्ट हैं, एक तो जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनका और दूसरा जो कंट्रोल का मामला है। जहां तक हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने ये बातें कही हैं। एक तो, हमने कहा है कि जो हेल्थ के ऊपर खर्चा होगा, वह अभी 0.9 परसेंट है, उसको बढ़ाकर अगले पांच साल में 2.2 से 3 परसेंट हम करेंगे। दूसरा, हमने कहा हैं कि जो गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था है, वह करेंगे। तीसरा, हमने कहा है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनको उचित मूल्य पर बेचा जाएगा। चौथा,

प्राइस के ऊपर भी हम चेक करेंगे। पांचवां, जो पब्लिक सेक्टर हैं, उनको हम रिवाइव करेंगे। तो ये हमारे पांच सूत्री प्रोग्राम हैं मेडिसिन के इस मामले में, जहां तक गरीबों के हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है, उसके लिए हमने योजना बनाई है कि पूरे देश में जो 25 करोड़ परिवार हैं, इन 25 करोड़ परिवारों को 5 से अगर भाग दे दिया जाए, तो 5 करोड़ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं और इन 5 करोड़ फेमिलीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया जाए, तो 3,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। यह 3000 करोड़ रुपया भारत सरकार के टोटल बजट के लिए कुछ नहीं है। अब अगर 3000 करोड़ रुपया हम सालाना खर्चा करते हैं, तो इसका मतलब हर गरीब के लिए मुफ्त में 35,000/- रुपए तक की दवाइयों की व्यवस्था, जो नीडी हों, उनके लिए की जा सकती है। जो हमारी नई ड्रग पॉलिसी है, उस नई ड्रग पॉलिसी में हम इस बात को रख रहे हैं। प्रश्न का दूसरा भाग इनका Essential Drugs के बारे में था, तो Essential Drugs की जो 1996 की सूची थी, उसके मुताबिक 279 ड्रग्स उसमें रखे गए थे, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार 31 मार्च, 2003 तक Essential Drugs की नई सूची तैयार करे और इसको अंडर कंट्रोल लाए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमको 354 ड्रग्स की लिस्ट बनाकर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसको कंट्रोल से बाहर नहीं रखा जाए, हम उसको भी नई पॉलिसी में कंट्रोल के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक आपने डिले के बारे में सवाल किया है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कैबिनेट नोट सरक्युलेट हो चुका है, सारी मिनिस्ट्रीज़ से कमेंट्स आ गए हैं। और within a week हम कैबिनेट के पास जा रहे हैं।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, this tax regime, or tax holidays, were available to Goa also. When it was available to Goa, many good pharmaceutical units came and settled in Goa. The moment this regime was ended and transferred to Himachal Pradesh, all the units, just like we find in *melas*, immediately dismantled the units and went to Himachal Pradesh.

Sir, we were told that this system of giving tax holidays would be ended in 2007 so as to maintain complete regional balance as far as this industry is concerned. Now, we have learned that this has been extended up to 2010. Will the hon. Minister take up this matter with the Finance Minister so as to see to it that there are no tax holidays given to any State and it is given to all States on par?

श्री राम विलास पासवान: सर, जिन राज्यों में पहले टैक्स हॉलिडेज़ 2007 तक दिया गया था, जो इंडस्ट्री लगाएंगे, उनको 10 साल और टाइम दिया जाएगा, यानी 2017 तक, अब इसे 3 साल

और बढ़ाने का प्रस्ताव ले लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब यह 2020 तक होगा। लेकिन, सर, जैसा कि हमने कहा है कि जहां भी कोई नई इंडस्ट्री लगती है, उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने में काफी समय लगता है। और जो उनका घाटा होता है, उसकी भरपाई करने में भी काफी समय लगता है। यह गवर्नमेंट की पॉलिसी है, न इस पक्ष की है, न उस पक्ष की है, यह सरकार की पॉलिसी है। आपने गोवा के संबंध में जो कहा है, तो हम गोवा के संबंध में जरूर दिखाने का काम करेंगे, लेकिन अभी जितनी tan exempted States हैं, पहले जहां 2017 तक था, उसे बढ़ाकर 2020 तक किया गया है।

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is true that as per the draft of the National Pharmaceutical Policy, 2006, the Government is considering inclusion of more drugs under price control. Now, the drug industry fears that bringing more drugs under price control would curtail the Research and Develpment activities being carried out by them. It is a fact that there are no drug industries without R&D. Therefore, I would like to know from the hon. Minister about the steps being taken in this regard. Otherwise, without any research and development, to have those medicines, we shall have to depend upon foreign countries to import. Hence, concrete steps must be taken in this regard.

श्री राम विलास पासवान: सर, पहले जो ड्रग्स थे, 74 ड्रग्स अभी तक अंडर कंट्रोल थे, लेकिन 74 ड्रग्स की फारमुलेशन बनती थी 1500, अभी जो हमने 354 ड्रग्स लिए हैं, उनकी फारमुलेशन है 6661 इसका मतलब है कि उनकी संख्या कम है। जहां तक आपने कंट्रोल के बारे में कहा है कि इंडस्ट्री वाले परेशान हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमको दोनों तरफ देखना पड़ रहा है-हम इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को भी देखते हैं और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी देखते हैं। इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के लिए हमने कहा है कि जो अंडर कंट्रोल प्राइस हैं, अभी तक उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन है, उस कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन के बाद 100 परसैंट उनको दिया जाता है, यदि 100 रुपए की दवाई है तो 200 रुपए दिए जाते हैं। हमने उनको कहा है कि 200 के बदले आपको 250 मिलेगा, जो अंडर कंट्रोल में हैं। इसके साथ ही हमने यह भी कहा है कि यदि आप आर एंड डी लगाने का कार्य करते हैं तो हम आपको 50% की अतिरिक्त छूट भी देंगे। इस तरह से कुल मिला कर 200% हुआ। उसके बाद भी यदि इंडस्ट्रीज़ यह कहें कि 200% में भी हमें घाटा हो रहा है और हम इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे, अगर यही बात किसान भी कहें कि हमें भी 200% का मुनाफा दो, नहीं तो हम भी बंद कर देंगे, तब देश का क्या होगा? इसलिए जहां एक ओर हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो हमारे कंस्ज्यूमर्स की साइड है, उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैंने इसी हाउस में कहा था कि कई दवाएं

हैं, जैसे सैट्राज़ीन है, जैनेरिक है, ये दवाएं केवल 20 पैसे की है, लेकिन यह 20 पैसे की दवाई मार्किट में पहुंच कर 37 रुपये में बिक रही है। यह तो लूट है और यदि हम इन पर कंट्रोल करते हैं और उससे इंडस्ट्रीज़ चिल्लाती हैं तो चिल्लाने दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर, फार्मर्स को ये कंपनीज़ लूट रही हैं और इस पूरी नीति पर बहुत देरी हो रही है।

श्री अजय मारू: सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो नॉन शेडयूल्ड ड्रग्ज़ हैं, संसदीय स्थायी समिति में भी यह देखा गया कि एक ही तरह के फॉर्मुलेशन में एक कंपनी का दाम कुछ होता है और दूसरी कंपनी का दाम कुछ दूसरा होता है और इसमें यह फर्क कम से कम 1000% तक का देखा गया है। मंत्री जी ने स्वयं अभी कहा कि एक दवाई, जिसकी कॉस्टिंग 20 पैसे आती है, वह 37 रुपये में बिकती है। मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से भी यह कहा था कि हम इस पर कंट्रोल करेंगे।

दूसरा, उन्होंने स्यूरियस ड्रग्ज़ के बारे में भी कहा है कि स्टेट ड्रग्ज़ कंट्रोलर को यह अधिकार दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक इस तरह के कितने मामले सामने आए हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री राम विलास पासवान: सर, जहां तक पहले प्रश्न का 'क' भाग है, उसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो सारी विसंगतियां हैं, हम उन सब पॉलिसीज़ को कैबिनेट में लेकर जा रहे हैं और उसमें सभी चीजों के रैक्टिफिकेशन का उपाय है।

दूसरा, जैसा कि आपने पूछा, जहां तक स्यूरियस ड्रग्ज़ या नकली दवा का मामला है, यह मामला हैल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हमारे अंडर एनपीपीए आता है, प्रोडक्शन से लेकर प्राइस फिक्सेशन का जो सवाल, वह हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है।

डा॰ एम॰ एस॰ गिल: सभापति जी, मेरा भी इस इंडस्ट्री से कुछ संबंध रहा है। आदरणीय मंत्री जी तब भी थे और अब भी हैं। उन्होंने अभी बहुत ही विस्तार से असली मसले का जिक्र किया है और वह यह है कि हिन्दुस्तान में पॉलिसीज़ तो आम बनती रहती हैं। पॉलिसीज़ दूसरी जगहों पर भी बनती रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछड़े हुए राज्यों या पहाड़ वाले राज्यों की तरक्की के लिए किन्हीं दूसरी स्टेट्स को मार दिया जाता है, इससे उन राज्यों को तो कोई भी फायदा नहीं होता है, लेकिन इन राज्यों की तबाही जरूर हो जाती है और देश को कोई भी फायदा नहीं होता है। श्री नायक जी ने भी यह मसला उठाया है, जिसके बारे में वह बता भी चुके हैं, इस संबंध में इनसे केवल इतना ही कहूंगा कि पिछली सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी, जिसे यह सरकार भी चला रही है, क्योंकि वोटों से तो सभी डरते है। लेकिन फिर किया क्या जाए वोट तो ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे, पंजाब में भी होंगे और हिमाचल में भी होंगे, उत्तरांचल में भी होंगे और यूपी में भी होंगे।

मैं आदरणीय मंत्री जी से इतना अनुरोध अवश्य करूंगा कि वह प्रधान मंत्री जी से बात करें, जो स्वयं एक आर्थिक विद्वान हैं, वह कैबिनेट से भी बात करें और उनसे भी यही कहें कि आप फायदा मत लीजिए और जैसा भी बन सके इन पॉलिसीज को देश के हित में कीजिए। इस तरह से तो कंपनियां ही पैसा ले रही हैं, पैसा न तो हिमाचल को मिल रहा है और न ही चंडीगढ़ अथवा पंजाब को मिल रहा है, हर तरफ केवल सत्यानाश ही हो रहा है।

श्री राम विलास पासवान: सर, यह बात सही है कि जिस उद्देश्य से इस पॉलिसी को बनाया गया था, उसमें काफी खामियां हैं और उनका लाभ सही ढंग से ही मिल रहा है। इस संबंध में मैं प्रधान मंत्री जी एवं फाइनांस मिनिस्टर साहब को भी लिख चुका हूं और आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए हमने कहा है कि एक्साइज डयूटी को 16% से घटा कर 8% कर दिया जाए। आपको मालूम ही होगा कि पहले जब एक्साइज डयूटी फैक्ट्री प्राइज़ के ऊपर भी लगती थी, लेकिन अब एक्साइज़ डयूटी को एमआरपी के ऊपर कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह था क्योंकि यह माना जा रहा था कि इससे न तो प्राइज़ पर कोई सीलिंग लग रही है और न ही कंज्यूमर्स का फायदा हो रहा है।

दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों के लिए एक करोड़ रूपये तक का एग्ज़म्प्शन दिया जाता था, उस एक करोड़ को भी हमने बढ़ा कर पांच करोड़ कर दिया है। जो प्रश्न अभी आपने किया है, उसके संबंध में मैंने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब को लैटर लिख कर भेज दिया है।

श्रीमती वृंदा कारत: लेकिन शासन क्या...(**व्यवधान**)... पासवान जी, आप कह रहे हैं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अब छोड़िए ...(**व्यवधान**)... बस, अब अलग-अलग नहीं होगा ...(**व्यवधान**)... वृंदा जी, आप बैठ जाइए।

**263. [The questioner (Shri Kalraj Mishra) was absent for answer vide page 24]*

Beautification of Bhubaneswar Railway Station

*264. MS. PRAMILA BOHIDAR:†
SHRI B.J. PANDA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is proposed to beautify the Bhubaneswar railway station, develop more railway stations and improve passenger amenities on ECoR;

†The question was actually asked as the floor of the House by Ms. Pramila Bohidar.